न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री परमजीत आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–25/2024

तारीख दायर–03.12.2024

तारीख–निर्णय– 25.06.2025

1. श्रीमती आशा पत्नी जय कुमार निवासी अग्गड तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
2. श्रीमती पिंकी पत्नी नरेन्द्र कुमार निवासी अग्गड़ तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमती राजश्री पत्नी कार्तिकेय निवासी अग्गड तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
4. श्रीमती विद्या पत्नी नरेश कुमार निवासी अग्गड तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
5. श्रीमती शशिकला पत्नी दीपक बी मेवाडा निवासी अग्गड तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)

........प्रार्थीगण

बनांम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........अप्रार्थी

उपस्थित–प्रार्थी की ओर से– अधिवक्ता श्री नरेश कुमार चौधरी

अप्रार्थी की ओर से–श्री राजपेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

–: :निर्णय : :–

प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों के स्वत्व आधिपत्य की आबादी भूमि मौजा लसाडिया, पटवार हल्का लसाड़िया भू.अ.निरीक्षक लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्यां नया 985 व पुराना 874 के आराजी संख्या 2696/19 रकबा 0.2160 हैक्टेयर आबादी भूमि स्थित है। जो प्रार्थीगणों के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज भूमि है। उक्त आराजी संख्या 2696/19 आबादी भूमि का नक्शा ट्रेश में पूर्व में सम्पूर्ण रकबे का नक्शा ट्रेस मुख्य सडक से लगता हुआ दर्ज था, जो सही था लेकिन सहवन से उक्त नक्शा ट्रेस में पूर्व में नक्शा ट्रेस में वर्णितानुसार नही दर्शा कर आराजी संख्या 2696/19 के रकबे को नक्शा ट्रेस में पूर्व अनुसार नही दर्शा कर बिना किसी अधिकार के 2696/19 के नक्शें में बदलाव करते हुए 2696/19 के नक्शें में 2696/10 का हिस्सा बढाते हुए नक्शा ट्रेस बना दी गई, जबकी पूर्व में 2696/19 के नक्शा ट्रेस में रकबे का मौके की की स्थिति के अनुसार सही दर्ज किया हुआ था लेकिन सहवन से पूर्व के नक्शा ट्रेस को रिपीट करने के बजाए 2696/19 के नक्शा ट्रेस में 2696/10 के हिस्से को भी दर्शा दिया गया और 2696/19 का हिस्सा कम दर्शा दिया गया जो एक लिपीकीय की त्रुटी है जबकी पूर्व अनुसार नक्शा ट्रेस को ही इन्द्राज किया जाना था इसलिये नक्शा ट्रेस में पूर्व की स्थिति अनुसार नक्शें

में तरमिंम किया जाना नितान्त आवश्यक है मौके पर प्रार्थीगणों 2696/19 पर पूर्व में वर्णित नक्शें अनुसार वर्तमान में काबिज और वर्तमान स्थिति अनुसार नक्शे में तरमिंम किया जाना था जिससे सहवन से 2696/10 को नक्शा ट्रेस में बढा दिया गया है और 2696/19 को कम दर्शा दिया गया जिसे पूर्ववत स्थिति में किया जाना नितान्त आवश्यक है । वाद ग्रस्त आराजी मौजा लसाडिया पटवार हल्का लसाडिया तहसील लसाडिया में स्थित होकर आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया की प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में नक्शा ट्रेस में पूर्व के नक्शा अनुसार एवं मौके की स्थिति अनुसार नक्शा ट्रेस में संशोधन करने का आदेश फरमावे जहां पर वर्तमान में प्रार्थीगण काबिज है।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि ज़माबन्दी सम्वत् 2070–73 राजस्व ग्राम लसाडिया पटवार हल्का लसाडिया भू.अ.निरीक्षक लसाडिया की खाता संख्या 615 के आराजी 2696/10(शा.न. 2697,2966)रकबा 5–04 बीघा किस्म मंगरी खातेदार रतनलाल पिता भेरा 54/104, सूरजमल पिता खरता मीणा सा.अग्गड 40/104 होमाराम पिता भेरा सा. रेलमहुडी 10/104 दर्ज थे उक्त आराजी से नामान्तरकरण संख्या 3474 दिनांक 13.01.2016 सहमती बंटवारा से 2696/19 (शा.न. 2697,2966) रकबा 1–06–10 बीघा किस्म मंगरी खातेदार सूरजमल पिता खरता मीणा सा.अग्गड खातेदार बना उक्त नामान्तरकरण में दर्ज नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज है। जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 राजस्व ग्राम लसाडिया पटवार हल्का लसाडिया भू.अ.निरीक्षक लसाडिया की खाता संख्या 615 के आराजी 2696/19 (शा.न. 2697,2966) रकबा 1–06–10 बीघा किस्म मंगरी खातेदार सूरजमल पिता खरता मीणा सा.अग्गड खातेदार दर्ज था जिसमें नामांतरकरण संख्या 3491 आवासीय संपरिवर्तन दिनांक 18/02/2016 से नये आराजी 2696 मी.(शा.न. 2697,2966) रकबा 1 बीघा किस्म मंगरी व 2696/24 (शा.न. 2697,2966) रकबा 1–06–10 बीघा किस्म आबादी सूरजमल पिता खरता मीणा सा.अग्गड से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुआ लेकिन राजस्व ग्राम लसाडिया की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 की खाता संख्या 402 में दर्ज आराजी नम्बर 2696/4 मी.(शा.न. 2697,2966) रकबा 0–08 बीघा पेमा पिता धर्मा मीणा 1/2; भवरी पत्नी लक्ष्मणलाल मीणा 1/2 सा.देह खातेदार दर्ज थें जो की मूल आराजी 2696/19 से लगता हुआ राजस्व रेकॉर्ड के नक्शें में मौके पर स्थित है। उक्त आराजी भूमि का नामान्तरकरण संख्या 3539 दिनांक 01/07/2016 सहमती बंटवारा से दो नये आराजी क्रमशः 2696/4 मी. रकबा 0–04 बीघा पेमा पिता धर्मा सा. देह खातेदार व 2696/24 रकबा 0–04 बीघा भंवरी पत्नी लक्ष्मणलाल मीणा सा.मातावेली खातेदार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुआ लेकिन उक्त आराजी 2696/24 नामांतरकरण संख्या 3491 आवासीय संपरिवर्तन दिनांक 18/02/2016 से पहले ही बन चुका था लेकिन वक्त सेग्रीग्रेशन नामांतरकण संख्या 3491 आवासीय संपरिवर्तन दिनांक 18/02/2016 से बने आराजी 2696/24 रकबा 0–06–10 बीघा किस्म आबादी सूरजमल पिता खरता मीणा सा. अग्गड को वर्तमान जमाबन्दी

Scanned with CamScanner

2075 –78 में राजस्व ग्राम लसाडिया की खाता संख्या 874 आराजी नम्बर 2696/29 रकबा 0.0648 है0 अलग आराजी नम्बर देकर नामांतरकरण संख्या 3491 आवासीय संपरिवर्तन दिनांक 18/02/2016 के मूल आराजी 2696/19 के नक्शे अनुसार 230 मीटर दूर बिलानाम भूमि पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है। जहां पर खातेदार का किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं है व न ही मौके पर काबिज है और नामांतरकरण संख्या 3539 दिनांक 01/07/2016 सहमती बंटवारा से बने 2696/24 रकबा 0–04 बीघा भंवरी पत्नी लक्ष्मणलाल मीणा सा. मातावेली की तरमीम नामान्तरकरण संख्या 3539 दिनांक 01/07/2016 में दर्ज नक्शा ट्रेस के अनुसार ना करके नामान्तरकरण संख्या 3491 दिनांक 18/02/2016 से बने आराजी 2696/24 (शा.न. 2697, 2966) रकबा 0–06–10 बीघा के स्थान पर कर दी गयी व उसका रकबा कम करके 0–04 बीघा कर दिया और 0–02–10 बीघा भूमि को बिलानाम आराजी 2696/10 में शामिल कर दिया और नामान्तरकरण संख्या 3539 दिनांक 01/07/2016 में आराजी नम्बर 2696/4 मी. (शा.न. 2697, 2966) से बने 2696/24 (शा.न. 2697, 2966) रकबा 0–04 बीघा को बिलानाम आराजी 2696/10 में शामिल कर दिया गया है।

राजस्व ग्राम लसाडिया की नामान्तरकरण संख्या 3491 दिनांक 18/02/2016 द्वारा आराजी 2696/19 मी. (शा.न. 2697, 2966) से बने आराजी 2696/24 (शा.न. 2697, 2966) रकबा 0–06–10 बीघा क़िस्म आबादी का नामान्तरकरण संख्या 3491 दिनांक 18–02–2016 में संलग्न नक़्शा ट्रेस के अनुसार तरमिंम किया जाना उचित है व राजस्व ग्राम लसाडिया की नामान्तरकरण संख्या 3539 दिनांक 01/07/2016 से बने आराजी 2696/24 (शा.न. 2697, 2966) रकबा 0–04 बीघा को नया नंबर देकर नामान्तरक़रण संख्या 3539 में संलग्न नक्शे अनुसार तरमिंम किया जाना उचित व आराजी नम्बर 2696/29 रकबा 0.0648 है0को आराजी 2696/10 में शामिल कर बिलानाम किया जाना उचित है। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में वही कथन कहें है, जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट प्रार्थना पत्र में संलग्न राजस्व रेकॉर्ड व उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

वर्तमान मौके अनुसार राजस्व ग्राम लसाडिया की नामान्तरकरण संख्या 3491 दिनांक 18/02/2016 द्वारा आराजी 2696/19 मी. (शा.न. 2697, 2966) से बने आराजी 2696/24 (शा.न. 2697, 2966) रकबा 0–06–10 बीघा किस्म आबादी का नामान्तरकरण संख्या 3491 दिनांक 18–02–2016 में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार तरमिंग किया जाना व राजस्व ग्राम लसाडिया की नामान्तरकरण संख्या 3539 दिनांक 01/07/2016 से बने आराजी 2696/24 (शा.न. 2697, 2966) रकबा 0–04 बीघा को नया नंबर देक़र नामान्तरकरण संख्या 3539 में

Scanned with CamScanner

संलग्न नक्शे अनुसार तरमिंम किया जानां तथा आराजी नम्बर 2696/29 रकबा 0.0648 है0को आराजी 2696/10 में शामिल कर बिलानाम किया जाना व पूर्व के नक्शा अनुसार एवं मौके की स्थिति अनुसार नक्शा ट्रेस में संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 26.6.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला सलूम्बर

(परमजीत आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर

Scanned with CamScanner